संख्या– /जी0एस0/शिक्षा/A11-70/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

-6 FEB 2019

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड देहरादून : दिनांक : जनवरी, 2019

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1923/SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 13–08–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, उत्तरकाशी को बी0एससी0 (पी0सी0एम0 एवं जेड0बी0सी0) पाठ्यक्रमों में सत्र 2017–18 से सत्र 2019–20 (तीन सत्रों) में अस्थाई सम्बद्धता का प्रस्ताव कुलपति जी की संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– तत्क्रम में मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय–6 की धारा–33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ–3 में वर्णित पाठ्यक्रम में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता हेतु पूर्वानुमोदन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान कर दिया गया है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1.	राजकीय महाविद्यालय बड़कोट, उत्तरकाशी	1–बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान)	प्रत्येक में 60–60 सीट	सत्र 2017–18, 2018–19 एवं सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता।
		2–बी0एससी0 (रसायन विज्ञान)	120 सीट	

(1) विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय में मानकों के अनुरुप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी एवं कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधपति जी को प्रस्तुत करेंगे।

(2) संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।

(3) संस्थान में मानकानुसार पूर्ण फैकल्टी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन के साथ–साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी।

(4) पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता पर पूर्वानुमोदन दिया जा सकेगा।

3– कृपया तद्नुसार विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम की व्यवस्था के अन्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4235 (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A11-70/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बड़कोट, उत्तरकाशी।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

(विक्रम सिंह यादव)
कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।